

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उन्वान

रीटगारा कुमार आदि

बनाम

जगदीश आदि

दावा बाबत :- 53-88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 230/2021

निर्णय दिनांक :- 15.12.21

वादी की ओर से वकील विनोद शनिष्य की व प्रतिवादीगण की ओर से

वकील उम्मेद की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.12.21 को

मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रीटगारा चक्र 6 MSR के खारासं पडा/39 के मुं नं 40, 41, 44, 45 की कुल 8.438 हे० नदी मय लाना व चक्र 6 MSR के खारासं 27/23 के मुं नं 40, 45 की कुल 4.212 हे० नदी मय लाना छपि भूमि में अराबिक राजीनामा वाद डीडी क्रिया लागू है। खारासं पडा/39 की कुल 8.438 हे० में प्रतिवारी सं 16 का नाम कलमजन क्रिया लागू है। अतः प्रति सं 10 का 14, 16 द्वारा त्याग क्रिये हिस्से पर पंजीपन शुल्क जमा करवाने व यदि छपि भूमि बैंक रदन है तो रदन अटक होने पर राजस्व रिपोर्ट में अंकन क्रिया जावे। अर्जीदावा की प्रमाणित प्रति, हस्दीक शुदा राजीनामा व रंगदार नम्बरा डी डी डी का भाग पठा जावे। डीडी आज प्रशासन गांव के संग अधिपान 2021 में गां 40 मुन्सरी में जारी की गई।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शक्ति प्रवारी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
केम्प 15.12.21